

खंड - VII : पुरस्कार के लिए चयन

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए अंतिम चयन किया जाएगा ।
2. इस चयन समिति में नौ सदस्य होंगे जो भारतीय राष्ट्रिक होंगे ।
3. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अध्यक्ष होंगी । चयन समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे :
 - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;
 - (ii) अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग;
 - (iii) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य;
 - (iv) संसद का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसदीय मंच द्वारा नामित एक समय एक वर्ष के लिए बारी-बारी से नामित दो संसद सदस्य;
 - (v) सरकार द्वारा एक समय एक वर्ष के लिए बारी-बारी से नामित विख्यात गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुख में से दो सदस्य; (ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी)
 - (vi) सरकार द्वारा नामित एक समय एक वर्ष के लिए बारी-बारी से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से दो सदस्य;
 - (vii) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पदेन सदस्य) ।
4. यदि चयन समिति का नामित गैर-सरकारी सदस्य सेवानिवृत्त या मृत्यु या अन्यथा त्यागपत्र देता है या अपना कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपनी सदस्यता छोड़ता है तो उस अवधि की असमान्य अवधि के लिए उसके स्थान पर अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाएगी ।
5. चयन समिति तब तक कोई निर्णय नहीं लेगी जब तक की कम से कम इसके 6 सदस्य उपस्थित न हों ।